राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	257/2016 रामसहाय / लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/09/20	अभिभाषक पक्षकार उपस्थित। आज कार्यालय हो जाने। R.A.A. महोदया अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनीय में होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14/10/20 को पेश हो।	
14/10/20	अभिभाषक पक्षकार उपस्थित। आ[illegible] हो जाने। R.A.A. म[illegible] पर होने/अन्य प्र[illegible]ने/रा[illegible] अवकाश हो[illegible] आदेशानुसार दिनांक 09/12/20 को पेश हो	
09/12/20	अभिभाषक पक्षकार उपस्थित। आज कार्यालय हो जाने। R.A.A. महोदया अवकाश पर होने/अन्य प्रशासनीय में होने/राजकीय अवकाश होने के कारण मिसल पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/02/21 को पेश हो	
10/02/21	अभि. अपीलान्ट/ रेस्पो. उपस्थित पूर्व [illegible] मिसल दिनांक 17/02/21 को पेश हो।	
17/2/21	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी है एवं उसके द्वारा प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05/04/2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं उनके द्वारा मुख्य रूप से उन्हें सुने बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जारी किया जाना अंकित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को चुनोती दी गयी है। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 ने अपीलार्थी के तथ्यों से सहमती जाहिर करते हुये अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामराम / लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिया जाकर पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु रेस्पो. संख्या 1 सहमत है | अत: दोनों पक्षों की सहमती के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जाकर प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे | तत्तपश्चात अधिवक्ता अपीलार्थी ने अधिवक्ता रेस्पो. के कथनों पर सहमती जाहिर करते हुये आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन किया |

चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी जो इस समक्ष रेस्पो. संख्या 1 है के द्वारा एवं अपीलार्थी के द्वारा सहमती जाहिर कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त कि जाकर प्रकरण दोनों पक्षों की सुनवाई कर पुनः निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया गया है | अत: प्रकरण का गुणावगुण पर कोई परीक्षण किये बगैर मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 05/04/2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुन: प्राथमिक निर्णय व डिक्री प्रकरण में पारित करे | तदनुसार इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकरबाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

आदेश आज दिनांक 17/02/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

(हस्ताक्षर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)